



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-22112025-267910
CG-BR-E-22112025-267910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5141]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

महेंद्रघाट, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5317(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक परियोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपबद्ध में दिया गया है, झारखंड राज्य में “ROR at Patratu” निर्माण परियोजना हेतु मौजा टोकीसुद अपेक्षित है, का अधिग्रहण किया जाएगा।

उक्त भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसी आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, रामगढ़, झारखंड राज्य को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार पर वर्णित किये जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा

अनुसूची

"झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिला मे रेलवे परियोजना के तहत Land Acquisition Plan of ROR at Patratu Under Dy.CE/Con/Barkakana in Dhanbad Division of Eastern Central Railway Under Special Railway Project परियोजना के निर्माण हेतु रामगढ़ जिला अन्तर्गत आने वाली अधिग्रहित भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण"

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	मौजा का नाम	खाता नं.	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	रकबा (हेक्टेयर)	रकबा (एकड़)
1	रामगढ़	पतरातू	टोकीसूद	55	230	रैयती	टांड-2	0.0084	0.0208
2				55	229	रैयती	टांड-2	0.1696	0.4192
3				55	228	रैयती	टांड-2	0.1781	0.4402
4				-	227	रैयती	टांड-2	0.0932	0.2302
5				55	226	रैयती	टांड-2	0.2823	0.6976
6				9	221	रैयती	टांड-2	0.0402	0.0993
7				47	211	रैयती	टांड-2	0.4283	1.0583
8				29	203	रैयती	टांड-2	0.4463	1.1028
9				47	202	रैयती	टांड-2	0.0666	0.1645
10				47	199	रैयती	टांड-2	0.0237	0.0585
11				2	197	रैयती	टांड-2	0.5380	1.3293
12				55	196	रैयती	टांड-2	0.3392	0.8382
13				55	183	रैयती	टांड-2	0.0071	0.0175
14				55	182	रैयती	टांड-2	0.0070	0.0173
15				55	179	रैयती	टांड-2	0.3671	0.9071
16				62	476	रैयती	टांड-2	0.0612	0.1512
17				-	478	रैयती	टांड-2	0.0171	0.0422
18				64	268	जंगल	गैरमजरुआ खास	1.3926	3.4412
19				65	210	-	गैरमजरुआ आम	0.0945	0.2334
20				64	195	-	गैरमजरुआ खास	0.0859	0.2122
21				64	176	-	गैरमजरुआ खास	0.6243	1.5427
22				64	480	जंगल	गैरमजरुआ खास	1.4744	3.6433
23				64	579	-	गैरमजरुआ खास	0.0808	0.1996

[फा. सं. L. No. DCE/Con/BRKA/LA/ROR Patratu/Tokisud]

रामाश्रय पांडेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Mahendrughat, the 14th November, 2025

S.O. 5317(E).—Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), and after being satisfied that the land, the brief description of which is given in the Schedule appended hereto, is required for a public purpose, namely, for the construction project of “ROR at Patratu” in the State of Jharkhand, it is hereby declared that the said land in Mouza Tokisud is to be acquired.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority, Ramgarh, Jharkhand State, and shall state the grounds on which it is based. The Competent Authority shall provide the objector an opportunity of being heard in person or through a legal practitioner, and after hearing all such objections and making such further enquiry, if any, as it deems necessary, may, by order, either allow or disallow the objections.

Every such objection, under sub-section (1) of Section 20D of the said Act, relating to the acquisition and use of land for the aforesaid purpose, shall be submitted in writing to the Competent Authority, i.e., the Land Acquisition Officer, Ramgarh, and shall clearly state the grounds thereof. The Competent Authority shall provide the objector an opportunity of personal hearing or representation through a legal practitioner and, after examining all objections and making such further inquiry as it considers necessary, may pass an order either admitting or rejecting such objections.

SCHEDULE

"Land Acquisition Plan of ROR at Patratu Under Dy. CE/Con/Barkakana in Dhanbad Division of Eastern Central Railway/Under Special Railway Project in Ramgarh District of Jharkhand State. Brief description of the acquired land falling under Ramgarh District for the construction of the project, with or without structure

Sr. No.	District	Name of Taluka	Name of Mouza	Khata No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Area (in Acre)
1	Ramgarh	Patratu	Tokisud	55	230	Raiyati	Tand-2	0.0084	0.0208
2				55	229	Raiyati	Tand-2	0.1696	0.4192
3				55	228	Raiyati	Tand-2	0.1781	0.4402
4				-	227	Raiyati	Tand-2	0.0932	0.2302
5				55	226	Raiyati	Tand-2	0.2823	0.6976
6				9	221	Raiyati	Tand-2	0.0402	0.0993
7				47	211	Raiyati	Tand-2	0.4283	1.0583
8				29	203	Raiyati	Tand-2	0.4463	1.1028
9				47	202	Raiyati	Tand-2	0.0666	0.1645
10				47	199	Raiyati	Tand-2	0.0237	0.0585
11				2	197	Raiyati	Tand-2	0.5380	1.3293
12				55	196	Raiyati	Tand-2	0.3392	0.8382
13				55	183	Raiyati	Tand-2	0.0071	0.0175
14				55	182	Raiyati	Tand-2	0.0070	0.0173
15				55	179	Raiyati	Tand-2	0.3671	0.9071
16				62	476	Raiyati	Tand-2	0.0612	0.1512
17				-	478	Raiyati	Tand-2	0.0171	0.0422

18				64	268	Forest	Gairmanzrua Khas	1.3926	3.4412
19				65	210	-	Gairmanzrua Aam	0.0945	0.2334
20				64	195	-	Gairmanzrua Khas	0.0859	0.2122
21				64	176	-	Gairmanzrua Khas	0.6243	1.5427
22				64	480	Forest	Gairmanzrua Khas	1.4744	3.6433
23				64	579	-	Gairmanzrua Khas	0.0808	0.1996

[F. No. L. No.- DCE/Con/BRKA/LA/ROR Patratu/Tokisud]

RAMASHRAY PANDEY, Chief Administrative Officer/Construction